इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 106

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात की कीमत

106. श्री भर्तृहरि महताब:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इस्पात की कीमतों को कम करने के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लौह अयस्क, स्क्रैप स्टील, स्टील पेलेट जैसे कच्चे माल की कीमतों में कमी करने और ऐसी वस्तुओं के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, ताकि यह इस्पात संयंत्रों में उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि जारी रहने की स्थिति में सरकार का इस्पात आयात पर शुल्क कम करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा थर्मो मेकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) बार, जो विशेषरूप से निर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं, के घरेलू निर्माताओं को वित्तीय और अन्य राहत देने का कोई प्रस्ताव है, ताकि कीमतों में हाल ही में हुई भारी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है जहां कीमतें मांग और आपूर्ति, बाजार की वैश्विक दशाओं, कच्चे माल की कीमतों में रूझानों, लॉजिस्टिक लागत, विद्युत एवं ईधन लागत इत्यादि से निर्धारित होती हैं। इस्पात कंपनियों द्वारा उपर्युक्त आधार पर कीमतों पर निर्णय लिया जाता है। सरकार ने कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए विभिन्न कदम उठाये है, इसमें शामिल है (i) लौह अयस्क एवं इस्पात की उपलब्धता में वृद्धि लाना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लौह अयस्क के उत्पादन/उपलब्धता को बढ़ाने हेतु खनन एवं खनिज नीति में सुधार के लिए कदम, (ii) समपहृत

(फॉर्फिटिड) कार्यशील खदानों का शीघ्र प्रचालन (iii) इस्पात उत्पादकों द्वारा उत्पादन और क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदम (iv) केन्द्रीय बजट 2021-22 में गैर-मिश्र धातु, मिश्र धातु और स्टेनलेस इस्पात के सेमीज फ्लैट और लांग उत्पादों पर सीमा शुल्क को समान रूप से कम करके 7.5% कर दिया गया है। (v) इस्पात स्क्रैप पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 31 मार्च, 2022 की अवधि तक छूट दी गई है, (vi) कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) को भी हटाया/अस्थायी रूप से हटाया गया है।

(घ) द्वितीयक और एमएसएमई क्षेत्र को रात प्रदान करने के लिए इस्पात उद्योग आवास/निर्माण क्षेत्र में संलग्न है, 8 एमएम से कम टीएमटी बार को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के दायरे से छूट दी गई है क्योंकि ये मुख्य रूप से गैर-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों हेतु उपयोग किए जाते हैं।

****